

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 264 / 17

संस्थापन दिनांक:-20 / 04 / 17

फायलिंग नं. 247 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

नंदकिशोर पिता सुखदेव बचले
 उम्र 35 वर्ष, निवासी परसोड़ी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (उ.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 11.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा०दं०सं० एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 10.03.2017 को समय रात्रि 12:00 बजे स्थान थाना आमला से 0.5 किलोमीटर दक्षिण में जनपद चौक आमला में मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमए-5751 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बीमा के चलाया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 10.03.2017 रात करीब 11 बजे बस स्टैंड से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह जनपद चौक आमला में पहुंचा सामने से तेज रफ्तार से आ रही मोटर सायकिल के चालक ने तेजी व लापरवाही से अपनी मोटर सायकिल चलाकर उसे टक्कर मार दी जिससे उसे सिर, दाहिने पैर एवं दोनों हाथों के पंजों में चोट आयी। उसे राहगीरों ने उठाया और आमला अस्पताल ईलाज के लिए भिजवाया। उसे ईलाज के दौरान पता चला था कि मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमए-5751 के चालक ने टक्कर मारी थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमए-5751 के चालक के विरुद्ध अपराध क्र. 175/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमए-5751 को जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी समीर का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 279 भा०द०सं० एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमए-5751 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बीमा के चलाया। ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 फरियादी समीर (अ.सा.-1) अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि घटना इसी वर्ष मार्च माह की रात्रि 11 बजे की जनपद चौक आमला की है। घटना के समय वह मोटर सायकिल से जनपद चौक के सामने से अपने घर जा रहा था तभी सामने से एक मोटर सायकिल आई और अचानक से टक्कर हो गयी। गाड़ी की रोशनी के कारण वह नहीं देख पाया था कि मोटर सायकिल कौन चला रहा था। टक्कर लगने से उसे चोट आयी थी तथा उसके सीधे पैर में फेक्चर हो गया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) थाने में दर्ज करवायी थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था।

7 साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि सामने से आ रही मोटर सायकिल बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी और मोटर सायकिल का चालक लापरवाही से मोटर सायकिल को चला रहा था। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया है कि मोटर सायकिल का नंबर एमपी-48-एमए -5751 था। साथ ही साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह सही होना बताया है कि अंधेरा होने के कारण वह नहीं देख पाया था कि गाड़ी कौन चला रहा था।

8 उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमए-5751 का संचालन किया जा रहा था, तब ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमए-5751 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया गया हो तथा उक्त मोटर सायकिल को बिना लायसेंस एवं बीमा के चलाया गया हो। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279 भा.दं.सं. एवं धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

9 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमए-5751 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बीमा के चलाया। फलतः अभियुक्त नंदकिशोर को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्त के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

11 प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमए-5751 आवेदक/सुपुर्ददार नंदकिशोर पिता सुखदेव, निवासी परसोड़ी, थाना आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर दी गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)